बिहार सरकार,

मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

आदेश संख्या– 383/नि०प्र० दिनांक– 22.07.2011

बिहार सरकार द्वारा विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य व्यस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' की स्थापना की गयी है । ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं एवं उनके संसाधनों का उपयोग करेगा ।

2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–44 दिनांक–18.07.2011 के द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को बिहार सरकार के विद्यालयों को अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

3. अतः ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, बिहार सरकार के विद्यालयों को अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने के लिए अधिकृत किया जाता है । ऐसें विद्यालयों के भवन, अन्य आधारभूत सुविधाओं एवं मानव संसाधनों का उपयोग यह 'बोर्ड' अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए करेगा (विद्यालय के आरंभ होने से पूर्व, विद्यालय के बंद होने के पश्चात, अवकाश के दिनों में) जिसके लिए बोर्ड द्वारा उचित मानदेय दिया जाएगा ।

4. जिस विद्यालय को बोर्ड अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करेगा, उसके प्रधानाध्यापक इस 'शिक्षण केन्द्र' के कॉडिनेटर भी होगें और बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगें ।

5. आप अपने स्तर से अपने जिला के सभी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को इस संदर्भ में सूचित करने का कष्ट करेंगें ।

6. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

22/07/11

(आशुतोष)
निदेशक
प्राथमिक शिक्षा

Let.1/17

ज्ञापांक– 383/नि०प्रा० पटना, दिनांक– 22/07/2011

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक(प्राथमिक शिक्षा)/सभी उप निदेशक, प्राथमिक/सभी सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आशुतोष)
निदेशक
प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक– 383/नि०प्रा० पटना, दिनांक– 22/07/2011

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/07/11
(आशुतोष)
निदेशक
प्राथमिक शिक्षा

Let.1/18

पत्रांक– 417

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

कमल कुमार सिंहा, भा0प्र0से0,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांक – 25.7.11

विषय :– बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को बिहार सरकार के विद्यालयों को अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य व्यस्कों को "मुक्त विद्यालयी शिक्षा" के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" की स्थापना की गयी है । "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का उपयोग करेगा ।

2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–44 दिनांक–18.07.2011 के द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को बिहार सरकार के विद्यालयों को अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

3. अतः "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, बिहार सरकार के विद्यालयों को अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है । ऐसे विद्यालयों के भवन, अन्य आधारभूत सुविधाओं एवं मानव संसाधनों का उपयोग यह बोर्ड अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए करेगा (विद्यालय के आरंभ होने से पूर्व,

34.17

विद्यालय के बंद होने के पश्चात, अवकाश के दिनों में) जिसके लिए बोर्ड द्वारा उ त मानदेय दिया जाएगा ।

4. जिस विद्यालय को बोर्ड अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करेगा, उसके प्रधानाध्यापक इस 'शिक्षण केन्द्र' के कॉडिनेटर भी होगें और बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगें ।

5. आप अपने स्तर से अपने जिला के सभी माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को इस संदर्भ में सूचित करने का कष्ट करेगें ।

6. इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0 / – 25/7/11

(कमल कुमार सिंहा),

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।

ज्ञापांक– 49-BBOSE पटना, दिनांक– 25.7.11

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार / सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25/7/11

(कमल कुमार सिंहा),

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।

पत्रांक—

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार

पटना दिनांक 18.7.2011

विषय :— बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को बिहार सरकार के विद्यालयों को अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण केन्द्र घोषित करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक / बालिकाओं एवं अन्य व्यस्कों को "मुक्त विद्यालयी शिक्षा" के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" की स्थापना की गयी है । "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का उपयोग करेगा ।

2. अतः "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, बिहार सरकार के विद्यालयों को अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने के लिए अधिकृत किया जाता है । ऐसे विद्यालयों के भवन, अन्य आधारभूत सुविधाओं एवं मानव संसाधनों का उपयोग यह बोर्ड अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए करेगा (विद्यालय के आरंभ होने से पूर्व, विद्यालय के बंद होने के पश्चात, अवकाश के दिनों में) जिसके लिए बोर्ड द्वारा उचित मानदेय दिया जाएगा ।

3. जिस विद्यालय को बोर्ड अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करेगा, उसके प्रधानाध्यापक इस 'शिक्षण केन्द्र' के कॉर्डिनेटर भी होंगे और बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव ।

पत्रांक— [illegible]

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार

पटना, दिनांक 18.7.2011

विषय :– बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को बिहार सरकार के विद्यालयों को अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य व्यस्कों को "मुक्त विद्यालयी शिक्षा" के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" की स्थापना की गयी है । "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का उपयोग करेगा ।

2. अतः "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, बिहार सरकार के विद्यालयों को अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करने के लिए अधिकृत किया जाता है । ऐसे विद्यालयों के भवन, अन्य आधारभूत सुविधाओं एवं मानव संसाधनों का उपयोग यह बोर्ड अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए करेगा (विद्यालय के आरंभ होने से पूर्व, विद्यालय के बंद होने के पश्चात, अवकाश के दिनों में) जिसके लिए बोर्ड द्वारा उचित मानदेय दिया जाएगा ।

3. जिस विद्यालय को बोर्ड अपना 'शिक्षण केन्द्र' घोषित करेगा, उसके प्रधानाध्यापक इस 'शिक्षण केन्द्र' के कॉर्डिनेटर भी होंगे और बोर्ड द्वारा दिये गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार [illegible])
प्रधान सचिव ।